भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 804
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

किराए के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र

804. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः**
श्री विष्णु दयाल राम
श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लगभग आधे आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) सरकारी भवनों में कार्यशील हैं जबकि शेष केन्द्र किराए के परिसरों अथवा अन्य स्थानों में संचालित किए जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो पृथक सरकारी भवनों, किराए के परिसरों, खुले स्थानों और अन्य स्थानों पर कार्यशील आंगनवाडी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में पृथक भवन निर्माण और मौजूदा आंगनवाड़ी केन्द्र अवसंरचना के उन्नयन हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी निधि आवंटित और उपयोग में लाई गई और कितने भवन निर्मित किए गए हैं और वर्तमान अथवा भावी परियोजनाओं की स्थिति क्या है;
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त और समर्पित अवसंरचना उपलब्ध हो;
(ङ) क्या सरकार को सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेश आ रही विशिष्ट चुनौतियों, जैसे कि पहुंच संबंधी समस्याओं, राशन घर ले जाने हेतु परिवहन प्रतिपूर्ति में विलंब और अनियमित किराया अनुदान की जानकारी है; और
(च) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है और इनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): दिसंबर 2024 के पोषण ट्रैकर आकड़ों के अनुसार 13.96 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में से 10.38 लाख एडब्ल्यूसी सरकारी स्वामित्व वाले भवनों, पंचायत भवनों, स्कूलों में या सामुदायिक भवन इत्यादि में संचालित हो रहे हैं। लगभग 3.58 लाख एडब्ल्यूसी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं।

(ग) से (च): 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाना है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ लगाना, मशीन और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 7116 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन करने के लिए बिहार राज्य को 16.98 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा के निर्माण के लिए प्रावधान को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है तथा शौचालय निर्माण के लिए प्रावधान को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) इत्यादि से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धन जुटाना जारी रखने की सलाह दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार राज्य को मनरेगा के साथ अभिसरण में 6155 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 44.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना बुनियादी सुविधाओं के किराए पर संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को, जहां भी स्थान उपलब्ध हो, समीप के प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका वाले पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने का भी निर्णय लिया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें सभी गतिविधियों की तात्कालिक समय पर निगरानी करने की सुविधा मिलती है।

एडब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह, एडब्ल्यूडब्ल्यू, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु के वजन मापने वाला पैमाना, माता और बच्चे के वजन मापने वाला पैमान जैसे विकास निगरानी उपकरणों से लैस किया गया है।

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा आरम्भ किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों को

स्वीकृति दी जानी है और प्रति एडब्ल्यूसी 12 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया जाना है।

उपर्युक्त के अलावा, जनजातीय मामले मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक एसटी गांवों में आदिवासी परिवारों की संतृप्ति कवरेज को अपनाकर आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यकलाप में वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन करना शामिल है।

*****